

राज्य सचिव
Secretary to Governor



फोन / Phone

कार्यालय/Office : (0755) 4223436/4080110

निवास/Res. : (0755) 4080111

फैक्स /Fax : (0755) 4080112

ई-मेल /E-mail : rajbhavan@mp.nic.in
mprajbhavan@rediffmail.com

राजभवन, भोपाल

Raj Bhavan, Bhopal—462 052

दिनांक 12 मार्च, 2010

क्रमांक 1390 / रास/यू.ए.-3/2010

डॉ. ज्ञानेन्द्र सिंह,
कुलपति,
महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय,
चित्रकूट, जिला सतना (म.प्र.)

विषय :

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24-क(1) के तहत गठित वित्त समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित किये जाने के संबंध में।

—00—

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 24-क(1) के तहत गठित वित्त समिति का प्रावधान है तथा धारा 24-क(2 एवं 3) में वित्त समिति के कृत्य एवं शक्तियां वर्णित हैं। वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

- | | | |
|--------|---|--------------|
| (एक) | विश्वविद्यालय का कुलपति | - अध्यक्ष |
| (दो) | विश्वविद्यालय का कुलसचिव | - सदस्य सचिव |
| (तीन) | आयुक्त, उच्च शिक्षा या उसके द्वारा नामनिर्देशित जो संयुक्त संचालक से निम्न पद का न हो | - सदस्य |
| (चार) | सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग या उसका नामनिर्देशिती, जो उप सचिव पद से निम्न पद का न हो | - सदस्य |
| (पांच) | सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग या उसका नामनिर्देशिती, जो उप सचिव पद से निम्न पद का न हो | - सदस्य |

उक्त अधिनियम से शासित न होने वाले विश्वविद्यालयों के संबंधित अधिनियमों में भी वित्त समिति के गठन एवं उनकी शक्तियां का प्रावधान किया गया है।

2/ यह देखने में आया है कि विश्वविद्यालयों द्वारा वित्त समितियों की बैठकें नियमित रूप से आहूत नहीं की जाती है। परिणामस्वरूप अत्यंत महत्वपूर्ण वित्तीय प्रकरणों को भी कार्यपरिषद के समक्ष वित्त समिति में विचार किये बिना प्रस्तुत किया जाता है, जिसके कारण कई गंभीर वित्तीय अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं। अतः यह आवश्यक है कि विश्वविद्यालयों से संबंधित वित्तीय मामलों कार्यपरिषद के अनुमोदन हेतु

प्रमुख सचिव
Secretary to Governor



फोन / Phone

कार्यालय/Office : (0755) 4223436/4080110
निवास/Res. : (0755) 4080111
फैक्स /Fax : (0755) 4080112
ई-मेल /E-mail : rajbhavan@mp.nic.in
mprajbhavan@rediffmail.com

राजभवन, भोपाल
Raj Bhavan, Bhopal—462 052

3/ बैठक समय-समय पर अथवा यथासंभव कम से कम तीन माह के अंतराल पर आयोजित किये जाना सुनिश्चित किया जाए तथा कार्यपरिषद का अनुमोदन प्राप्त करने के पूर्व समस्त वित्तीय एवं आर्थिक प्रकरणों को वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाए। कृपया इस संबंध में बैठक आयोजित कर उसका विवरण इस सचिवालय को भेजने का कष्ट करें।

महामहिम राज्यपाल एवं कुलाधिपति, महात्मा गांधी
चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट के
आदेशानुसार

Ke 2/3/10
(के. के. सिंह)
राज्यपाल के प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश

38